

15

208



F-16-7-14

नगरी प्रकरण- 2304/2014

रा.रा. श्रीमान सदस्य/अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, बेंच इंदौर

R- 2304-PBR/14

1. मांगीबाई पति रामचरण
आयु 70 वर्ष, धंधा कृषि एवं गृहकार्य
नि. ग्राम मानपुर तहसील महु जिला इंदौर म.प्र.
2. लक्ष्मीबाई पति केसरसिंह
आयु 63 वर्ष, धंधा गृहकार्य
नि. ग्राम मानपुर तहसील महु जिला इंदौर म.प्र. --रिविजनगण

श्री मोहन शर्मा
मिनासक द्वारा आज
दिनांक 15-7-14 को प्रत्यक्ष
का पुरा प्रस्तुत।

विस्त

1. चितराबाई पति नवल किशोर
आयु लगभग 70 वर्ष, धंधा कृषि
नि. मानपुर तहसील महु जिला इंदौर म.प्र.
2. राजेश पिता नवल किशोर
नि. सदर
3. अनिता पति सतीष
नि. सदर
4. गोतम पिता सतीष
नि. सदर
5. सिद्धार्थपिता सतीष
नि. सदर
6. शिवकलाबाई पति बालकृष्ण
नि. सदर
7. संपतबाई पति प्यारेलाल
नि. सदर
8. राजू पिता प्यारेलाल
नि. सदर
9. पद्मन पिता प्यारेलाल नि. सदर

मील/
बेडकरनगर
/अ-27/
को गई
धारा 5
द्वारा
गंभीरतम
है।

त्वारा
प्रकृत हुई

15-7-14
18-7-14

मांगीबाई
बाई देवडा

लक्ष्मीबाई 15-7-14

निरंतर-2

10. विमला पिता प्यारेलाल
नि. सदर

--- प्रतिप्रार्थीगण

रिविजन याचिका अन्तर्गत धारा 50 भू. रा. संहिता के तहत

01. रिविजनकतगिणके द्वारा यह रिविजन याचिका अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अबिडकर नगर महु के द्वारा अपील प्रकरण क्रं. 44/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2014 जिसके माध्यम से अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तीन वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गयी अवधि बाधित अपील को अवधि में मानने की गंभीर भूल करते हुए प्रतिप्रार्थी चित्राबाई का आवेदन धारा 5 अवधि विधिधान का आवेदन स्वीकार किया है जिससे पीडित होकर यह रिविजन प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

02. यह कि, प्रतिप्रार्थी चित्राबाई के द्वारा एक अपील क्रं. 44/अपील/120-13 दिनांक 1.07.2013 को अनुविभागीय अधिकारी महोदय अबिडकरनगर महु के समक्ष अपर तहसीलदार महोदय, टप्पा मानपुर के प्रकरण क्रं. 35/अ-27/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 16.11.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई तथा अपील अवधि बाधित होने के कारण विलंब माफ किये जाने के धारा 5 अवधि विधान का आवेदन प्रस्तुत किया जो अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि विरुद्ध रूप से तथ्यों के विपरित स्वीकार करने में विधि की गंभीरतम भूल की है जिससे पीडित होकर यह याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

"रिविजन याचिका के आधार"

03. यह कि, नायब तहसीलदार महोदय टप्पा मानपुर के बतवारा प्रकरण में दिनांक 3.8.2010 को प्रतिप्रार्थी चित्राबाई उपस्थित हुई


भुगीबाई

लक्ष्मीबाई देका

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2304-पीबीआर/2014 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो ।</p>	 अध्यक्ष